संख्या-38/37/08-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
*****

लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003
दिनांक : 03-06-2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों आदि की पेंशन ।

1. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन का विनियमन इस विभाग के समसंख्यक का0 ज्ञा0 दिनांक 01-09-2008 में दर्शाए गए तरीके से करने हेतु निर्देश जारी किए गये थे ।

2. उपरोक्त का0 ज्ञा0 दिनांक 1-9-2008 के हिन्दी स्वरुप के पैरा 6 में कुछ त्रुटि रह गयी थी । कृपया उपरोक्त का0 ज्ञा0 के पैरा 6 को निम्न प्रकार से पढ़ें :-

6. "मौजूदा आदेशों के तहत इस समय नियुक्त/पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी, पेंशन पर महंगाई राहत प्राप्त नहीं कर रहे हैं । उनके मामले में, यदि उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति न हुई होती, तो उनके मामले में लागू होने वाले सैद्धांतिक (नोशनल) महंगाई राहत को उपर्युक्त पैरा 4.1 के अनुसार यह मानकर कि वे महंगाई राहत प्राप्त कर रहे थे, उनकी पेंशन को समेकित किए जाने के प्रयोजन से गिना जाएगा । दिनांक 1-1-2006 से उनके वेतन का पुनर्निर्धारण उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । तथापि, दिनांक 1-1-2006 के बाद महंगाई राहत, उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि के दौरान उन पर लागू नहीं होगी ।"

(राज सिंह)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि: डाक सूची के अनुसार ।